राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम
1.	565 / 2025	संतोष कुमार त्रिवेदी	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर।	श्री कैलाश जांगिड
2.	566 / 2025	नरेन्द्र कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बाडमेर, जिला बाडमेर।	श्री कैलाश जांगिड
3.	567 / 2025	अनिल जोशी	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बाडमेर, जिला बाडमेर।	श्री कैलाश जांगिड
4.	568 / 2025	किशनलाल	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बाडमेर, जिला बाडमेर।	श्री कैलाश जांगिड
5.	569 / 2025	मनोहर सिंह चारण	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बाडमेर, जिला बाडमेर।	श्री कैलाश जांगिड
6.	570 / 2025	थाना राम बिश्नोई	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।	श्री कैलाश जांगिड

			2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर।	
7.	571/2025	टीकमा राम	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. खण्डीय संयुक्त निदेशक, स्कूल एज्यूकेशन, जोधपुर, जिला जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जोधपुर, जिला जोधपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बाडमेर, जिला बाडमेर।	श्री कैलाश जांगिड

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थिति : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 565/2025 संतोष कुमार त्रिवेदी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को इस एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
3. अपीलाथीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति शारीरिक शिक्षक ग्रेड–तृतीय के पद पर की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 के लिये आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.11.2024 की अभिशंषा पर पदोन्नति आदेश दिनांक 02.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अन्य पदोन्नति–योग्य कार्मिकों के साथ अपीलार्थी की पदोन्नति भी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर की गई। तत्पश्चात् पदोन्नत

कार्मिकों के पदस्थापन हेतु विभाग द्वारा काउंसिलिंग सूचना दिनांक 10.02.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को काउंसिलिंग में पदस्थापन स्थान का विकल्प प्रस्तुत करने/सहमति देने हेतु बुलाया गया। काउंसिलिंग के दौरान विभाग द्वारा सम्बंधित शहर के विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को नहीं दर्शाया गया था जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपनी परिवेदना (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत की गई। अनुलग्लक–4 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने वर्तमान में जोधपुर शहर व बाडमेर शहर के विद्वालयों में रिक्त पदों की सूचना जाहिर की गई जिन पर अपीलार्थीगण का पदस्थापन किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवेदना (अनुलग्नक–3) पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेते हुए आदेश दिनांक 11.02.2025 (अनुलग्नक–5) जारी कर विभिन्न दूरस्थ विद्यालयों में नव–पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के अन्तर्गत क्रम संख्या 2 पर अपीलार्थी का पदस्थापन पी.एम.श्री राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नेवरा रोड, ओसियां जिला जोधपुर में किया गया, जबकि जोधपुर ब्लॉक के अन्तर्गत अन्य विद्यालयों में भी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि वर्तमान में अनुलग्नक–4 के अनुसार सम्बंधित शहर में विभिन्न विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त हैं जिन पर अपीलार्थी को अपने विकल्प के आधार पर निकटस्थ स्थान पर पदस्थापित किया जा सकता है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को

निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या 565/2025 संतोष कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक-एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य